

राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार बीदासर

प्रकरण संख्या 62/2018

दायरा दिनांक 24-06-2018

पीठासीन अधिकारी

श्री ओमप्रकाश वर्मा

आरटीएस

तहसीलदार बीदासर

राजस्थान सरकार बनाम पटवारी पटवार मण्डल कातर छोटी
प्रार्थी.....

बनाम

अमराराम पुत्र लिखमाराम आदि जाति कुम्हार नि. कातर छोटी
अप्रार्थी.....

निर्णय

दिनांक 30.08.2018

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है, पटवारी पटवार मण्डल कातर छोटी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि अप्रार्थीगण अमराराम, बजरंगलाल, मामराज, भंवरलाल पुत्रगण लिखमाराम एवं बाबुलाल, श्रवणराम पुत्रगण रामलाल जाति कुम्हार नि. कातर छोटी ने रोही ग्राम कातर छोटी के खसरा नं. 64 किस्म गै. मु. गोचर रकबा 1.07 बीघा भूमि में से 0.01 बीघा भूमि पर नाजायज अतिक्रमण कर लिया है। अप्रार्थीगण को धारा 91 एल आर एक्ट के अंतर्गत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण नीयत तारीख पेशी दिनांक 13.08.2018 को उपस्थित। जवाब प्रस्तुत किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली का अवलोकन करने एवं पटवारी पटवार मण्डल कातर छोटी के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट नकल एक्स, जमाबन्दी व पी 14 से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण अमराराम, बजरंगलाल, मामराज, भंवरलाल पुत्रगण लिखमाराम एवं बाबुलाल, श्रवणराम पुत्रगण रामलाल जाति कुम्हार नि. कातर छोटी ने रोही ग्राम कातर छोटी के खसरा नं. 64 किस्म गै. मु. गोचर रकबा 1.07 बीघा भूमि में से 0.01 बीघा भूमि पर नाजायज अतिक्रमण कर लिया है। नियमानुसार अप्रार्थीगण को अतिक्रमी घोषित किया जाता है और भू0अ0 निरीक्षक कातर छोटी को आदेशित किया जाता है कि आप अतिक्रमियों को भौतिक रूप बेदखल करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करें तथा पटवारी पटवार हल्का कातर छोटी को आदेशित किया जाता है कि आप अप्रार्थीगण से शरह पड़ता लगान ग्राम कातर छोटी 00.50 रु प्रति बीघा की दर का 50 गुणा राशि अतिक्रमित भूमि 0.01 बीघा की राशि 05/- पाँच रुपये वसूल करें तथा तहसील राजस्व लेखाकार मांग कायमी करना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 30.08.2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मोहर से जारी किया गया एवं सरे इजलास सुनाया गया।




ओमप्रकाश वर्मा
आरटीएस
बीदासर (राज.)
तहसीलदार बीदासर

उक्त मांग कायमी रा.ल. 4 की पुष्क
सं. 1 पर 3/ की गई है